कार्ययोजना

चारागाह एवं चारा रिजर्व विकास योजना

पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड

चारागाह एवं चारा रिजर्व विकास योजना – कार्ययोजना

पर्वतीय क्षेत्र में महिलायें ही मुख्य रुप से पशुपालन व्यवसाय से जुडी हैं। हरे चारे के अभाव में महिलायें चारे हेतु मीलों का सफर तय करती हैं फिर भी पौष्टिक चारे के अभाव में पशुओं का उत्पादन कम है। फलस्वरूप अत्यधिक श्रम के उपरान्त पशुपालन लाभकारी नहीं हो पा रहा है। अतः महिलाओं का कार्य बोझ कम करनेए पशुओं हेतु पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्वि कर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित चारागाह एवं चारा रिजर्व विकास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना निम्नानुसार प्रस्तावित की जा रही है –

योजना हेतु स्थल चयन

- स्थान का चयन संबंधित वनपंचायत अथवा अन्य सामूहिक भूमि जैसे सिविल सोयम, वन भूमि, संयुक्त वन प्रबंध भूमि अथवा वन विकास समिति के अंतर्गत ग्राम के जनप्रतिनिधियों / महिला समूह के सदस्यों / अन्य पशुपालक महिलाओं से विस्तृत विचारोपरान्त किया जाएगा।
- चयनित स्थान का क्षेत्रफल 5 है0 होना चाहिए
- चयनित स्थान सभी विवादों से मुक्त होना चाहिए।
- सडक से चयनित स्थान की दूरी कम से कम हो।
- गॉव तथा आबादी से चयनित स्थान कम से कम 1 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित हो।
- समुद्र तल से चयनित स्थान की ऊॅचाई लगभग 1000 से 2000 मी0 के बीच होनी चाहिए।
- चयनित स्थान का ढलान 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- वृक्ष / झाडियों की संख्या न्यूनतम हो तथा स्थाई / अस्थाई जल स्रोत वाली जगह को वरीयता दी जाएगी।
- चयनित स्थल का पूर्वी/पूर्वोत्तर/पश्चिमोत्तर दिशाओं में अभिमुखता वाला भाग लगभग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
- क्षेत्र का नजरिया नक्शा तैयार कर इन्वेन्ट्री तैयार की जाएगी जिसमें चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति, जल स्रोत, अभिमुखता, ढलान आदि सभी सूचनाएॅ विस्तृत रूप में अंकित होनी चाहिएॅ।

चारा विकास समिति का गठन

चारा विकास हेतु चयनित वन पंचायत / सिविल भूमि से संबंधित ग्राम के समस्त इच्छुक परिवारों से एक–एक महिला को सम्मिलित करते हुए कम से कम 20 महिलाओं का एक महिला स्वयं सहायता समूह गठित किया जाएगा। इस ही समूह में से सर्वसम्मति से एक ग्रुप लीडर एवं दो सहायक ग्रुप लीडर मनोनित किए जाएँगे।

तदनुसार **चारा विकास समिति** का गठन किया जाएगा जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी–

- समन्वयक – संबंधित पशुचिकित्साधिकारी
- अध्यक्ष – महिला स्वयं सहायता समूह की ग्रुप लीडर
- सचिव – महिला स्वयं सहायता समूह की सहायक ग्रुप लीडर–1
- सदस्य – महिला स्वयं सहायता समूह की सहायक ग्रुप लीडर–2
- सदस्य – चारा विकास अधिकारी
- संरक्षक – सरपंच / ग्राम प्रधान

बैंक में बचत खाता खोलना एवं संचालन

महिला स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक सदस्या से रू 100 प्रति की दर से सदस्यता शुल्क लेकर नजदीकी बैंक में चारा विकास समिति के नाम से एक संयुक्त खाता खोला जाएगा, जिसका संचालन समिति के समन्वयक (पशुचिकित्साधिकारी) एवं अध्यक्ष (महिला स्वयं सहायता समूह की ग्रुप लीडर) द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। खाते से धनराशि आहरित करने से पूर्व आहरण का प्रयोजन चारा विकास समिति में विचारार्थ रखा जाएगा तथा सहमति के उपरॉत ही धनराशि नियमानुसार आहरित की जाएगी। खाते से समस्त भुगतान यथासंभव चैक द्वारा ही किए जाएँगे। इसी बचत खाते में योजना से प्राप्त राजकीय अनुदान एवं योजना के सफल क्रीयान्वयन से प्राप्त आय को भी जमा किया जाएगा। चारा विकास समिति के सचिव द्वारा समस्त विवरणों के अभिलेख रखे जाएँगे तथा समन्वयक द्वारा इस कार्य में पूर्ण सहयोग / मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन

योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अधिकांश कार्य जो महिलाओं की कार्यक्षमता के अन्दर होंगे महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे। कार्य पर लगी महिलाओं

का भुगतान प्रत्येक 15 – 30 दिन में चारा विकास समिति के सम्मुख पूर्ण पारदर्शिता से नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक परियोजना क्षेत्र हेतु एक–एक पशु चिकित्सा अधिकारी नामित किए जाएगा जो अपने अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से सतही स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करेगा। जनपद स्तर पर योजना के संचालन एवं पर्यवेक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं चारा विकास अधिकारी का होगा।

चारागाह एवं चारा रिजर्व विकास योजना
(केन्द्रीय अनुदान राषि प्रति यूनिट प्रति 5 हैक्टेयर)

S.No	Item	Amount (Rs in Lacs)
A. Capital Investment		
(a)	Demarcation of boundry, fencing, (trench/brushwood/barbed wire)	1.60
(b)	Land Development (5 Ha) (including soil treatment and weeding)	0.80
(c)	Farm sheds – for equipment, seed, manure, and office	0.25
(d)	Purchase of agricultural equipments	0.20
(e)	Creation of irrigation facilities: wells, pumps, powerline, water, tank, pump room, pipelines etc	0.50
	Sub-Total	**3.35**
Recurring Expenditure		
(a)	Wages of supervisory staff	0.10
(b)	Seeds, fertilizer / manure, insecticides	0.50
(c)	Cultivation charges	0.75
(d)	Irrigation, electricity / fuel charges	0.00
(e)	Maintenance	0.15
(f)	Miscellaneous and unforeseen expenses	0.15
	Sub-Total	**1.65**
	Grand Total	**5.000**

कार्य का संपादन निम्न प्रकार किया जायेगा

1–सुरक्षा घेरबाड़ – यथासंभव सम्पूर्ण 5 है0 क्षेत्रफल में लकडी/एंगल आयरन के पोल, कंटीली झाडियों, फैंसिंग, कंटीले तार तथा / अथवा गहरी खंदक (ट्रैंचिंग) द्वारा घेरबाड की जायेगी। घेरबाड़ की परिधि लगभग 1000मी0 होगी जिसमें 5है0 क्षेत्रफल आच्छादित होगा ।

2–बरसाती जल संचय हेतु हौजो का निर्माण– एक पोलीलाइनिंग हौज प्रति है0 की दर से बनाये जायेंगे जहॉ बरसाती जल का संग्रह किया जायेगा हौज का आकार भूमि की उपलब्धता के अनुसार कम से कम (12 X 10 X 4 फुट) रखा जायेगा । हौजों की संख्या एवं आकार चयनित क्षेत्र की भू भौगोलिक स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होगा।

3–कम्पोस्ट पिट का निर्माण–कम्पोस्ट/गोबर खाद के परिवहन पर व्यय अधिक होने की वजह से परिवहन व्यय में बचत करने हेतु चयनित क्षेत्र के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाया जायेगा जिसका औसत आकार लगभग (10 X 8 X 4 फुट) रखा जायेगा । कम्पोस्ट पिट मे बॉज आदि वृक्षों की शुष्क पत्तिया, निराई गुडाई से निकलने वाले खरपतवार तथा स्टार्टर के रूप में कृषकों से 75 से 100किगा0 ताजा /अधपका गोबर की खाद प्रत्येक कम्पोस्ट पिट में मिला दिया जायेगा लगभग 4 से 6 माह में कम्पोस्ट तैयार हो जायेगा जिससे चारा घासो में प्रयोग किया जायेगा ।

4–चारा पौधों का रोपण– चयनित क्षेत्र में तुगंता के आधार पर भिमल क्वैराल खडिक, वितैण, बॉज, फल्यांत, शहतूत आदि लोकप्रिय चारा वृक्षो के पौधों को रोपित किया जायेगा । लगभग 2000से 2500 पौधे सम्पूर्ण 5 है0 में रोपित किये जायेगें ।

5–कन्टूर टिरैस का निर्माण :– वन पंचायत/सिविल भूमि में घासो की खेती प्रारम्भ करने से पूर्व सम्पूर्ण चयनित क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत या लघु क्यारियों का निर्माण किया जायेगा । खेतो की चौडाई क्षेत्र के ढलान पर निर्भर करेगी, परन्तु लम्बाई तीन से पांच मीटर तक रखी जायेगी लगभग 60डिग्री ढलान तक सीढीदार टिरैस निर्मित किये जायेगे इससे अधिक ढलान पर टिरैस की चौडाई 50सेमी0 से किसी भी दशा में अधिक नही होनी चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाय कि टिरैस के अन्तः दीवार की ऊंचाई 30 से 60सेमी0से अधिक न हो सम्पूर्ण क्षेत्र मे चट्टानी भागों को छोडकर जहां मृदा स्थिति अच्छी हो टिरैस निर्मित किये जायेगें, सभी टिरैस कन्टूर (समोच्च रेखीय) पर होने चाहिये दो कन्टूर के मध्य जहां तक सम्भव हो 50 सेमी0 रिक्त स्थान छोडा जायेगा सभी कन्टूर टिरैस एकान्तर एवं इस प्रकार बिखरे होने चाहिये कि वे एक दूसरे के ठीक ऊपर न हो एक कन्टूर पर दो टिरैस के मध्य लगभग 30 सेमी0 का अन्तर रखा जायेगा , दूसरे कन्टूर के टिरैस इस प्रकार

बनाये जायेंगे कि वे रिक्त स्थान के ठीक नीचे स्थित हो इससे यह लाभ होगा कि रिक्त स्थान का वर्षा जल उससे नीचे स्थित कन्टूर टिरैस में शोषित हो जायेगा

6—मृदा कार्य एवं खाद का प्रयोगः—टिरैस निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने के साथ ही निर्मित खेतो में मृदा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जायेगा निर्मित टिरैस में फावडा,गेठी अथवा कुदाल द्वारा लगभग 15 से 20 सेमी0 तक गहरी गुडाई की जायेगी , गुडाई करने के साथ ही खेतो में से खरपतवारो के ठूठ तथा जडो आदि को निकालकर बनाये गये कम्पोस्ट गड्डो में डाल दिया जायेगा जों कुछ दिन पश्चात सडकर जैविक खाद में परिवर्तित हो जायेगा तथा उसे खेतो में प्रयोग किया जा सकेगा ।खेतो की गुडाई करने के पश्चात खेतो में लगभग 50 कु0 प्रति है0 की दर से जैविक खाद अथवा सड़ी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाई जायेगी जैविक खाद की इस वैसल ड्रेसिंग से प्रति है0लगभग 70 किग्रा0 नत्रजन 40किग्रा0 फास्फोरस तथा 50 किग्रा0 पोटास उपलब्ध हो जायेगा जो घासो की वृद्वि एवं उत्पादन के लिये एक दो वर्ष हेतु प्रर्याप्त होगा । जैविक खाद की कमी होने की दशा में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा सकता है।

चारा विकास योजना में निम्न घासे लगाई जायेगी —

1—मानसूनी घासें (1500 मी0 की ऊचाई तक) नैपियर घास, गुनी घास, सीता घास, अंजन घास, धामन घास परन्तु नैपियर घास के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ।

1—शीतकालीन घासें (1250 मी0 2500मी0 तक) राईघास, दोलनी घास, गुच्छी घास, ब्रोम घास,

2—दलहनी घासें — सफेद क्लोवर, लाल क्लोवर (शीतकालीन घासे)
स्टाइलो, सेन्ट्रो घास (मानसूनी घासे)

7—घास पौधो की रोपाई

1—मानसूनी घासे—नैपियर घास का विस्तार केवल वानस्पतिक विधि द्वारा ही सम्भव है नैपियर के लगभग एक वर्ष आयु वाले तने को इनके पुराने खेतो अथवा झुरमुटो में से काटकर एकत्र किये जायेगे तेज धारदार गडासे द्वारा प्रत्येक तने से दो अथवा तीन गाठ वाली कलमे तैयार की जायेगी यदि तने में इन्टरनोड की लम्बाई बहुत ज्यादा हो तो दो गाठो वाली कलमें बनाई जायेगी। परन्तु किसी भी दशा में कलमो की लम्बाई 25—30 सेमी0 से अधिक नही होनी चाहियें। कलमो की कटाई करते समय यह ध्यान रखा जाय की दोनो सिरो के कट थोडा तिरछे हो इस प्रकार तैयार किये गये कलमो की रोपाई सीधे वन पंचायत में की जायेगी रोपाई का उत्तम समय मानसून प्रारम्भ हो जाने पर जुलाय से लेकर 15 अगस्त तक है, परन्तु जुलाई में

रोपित कलमों से अक्टूबर नवम्बर में हरा चारा उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है । अतः माह जुलाई में रोपण कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

कलमों को पंक्तियो में रोपित करना चाहिये तथा पक्तियों एवं पौधों के मध्य की दूरी 45 से 50 सेमी0 रखनी चाहिये लगभग 10 से 14 हजार कलमे प्रति है0 रोपित की जायेगी, जिनका हरी अवस्था में भार 14 से 20 कु0 तक होता है कलमों के एक सिरे को पहले से तैयार किये गये टिरैस/खेत में लगभग 5 सेमी0 गहराई में मिट्टी में दबाना चाहिये ताकि एक गाठ मृदा के अन्तर दब जाय इसी गाठ से जडें निकलती है तथा कलियां फूटकर बाहर प्ररोह बनाती है कलमों को थोडा सा तिरछा रखना चाहिये कलम की दूसरी गाठ जो मृदा सतह से ऊपर होती है उसमे से कलियां निकलकर प्ररोह में बदल जाती है।

नैपियर के पुराने झुरमुटो जिनका आधार व्यास दो वर्ष में 30 से 60 सेमी0 तक होजाता है से जड़युक्त रूट स्टाक निकालकर उन्हे सीधे वंनपंचायत /सिविल भूमि में रोपित किया जायेगा एक पुराने झुरमुट से लगभग 4 दर्जन तक रूट स्टाक प्राप्त हो जाता है । जिनमें रेसा जडें नही होंगी वह पौधे सूख भी जाते है रूट स्टाक की लम्बाई 25 सें0मी0 तक होनी चाहियें ज्यादा लम्बाई वाले रूट स्टाक के ऊपरी भाग को काट देना चाहिये उनकी रोपाई ठीक कलमो जैसी करनी चाहिये ।

गुनी घास,सीताघास तथा अंजन घामन घास की रोपाई रूट स्टाक द्वारा की जाती है एक वर्ष अथवा पुरानी घासो के खेत से कुटले अथवा कुदाल द्वारा तल शाखाओं अथवा रूट स्टाक को निकाल देना चाहिये यदि जडो में मिट्टी अधिक हो तो उसे झाड देना चाहियें । तल शाखाओ को जड के ऊपर लगभग 20 सेमी0 को छोडकर शेष ऊपरी भाग को काट देना चाहिये तल शाखाओं की रोपाई का उत्तम समय मानसून प्रारम्भ हो जाने पर जुलाई माह है। पौधो तथा पक्तिंयो के मध्य की दूरी 40 से 50 सेमी0 रखनी चाहिये तल शाखाओं की रोपाई करते समय उन्हे लगभग 5 सेमी0 गहराई में भली भाति दबा देना चाहिये लगभग 3 से 5 तल शाखाओं को एक साथ दबाना चाहिये लगभग 50 से 60 हजार पौधे तल शाखाये प्रति है0 रोपित होगी जिनका हरी अवस्था में भार लगभग 15 से 20 कु0 तक होता है ।

2– शीतकालीन घासे (1250 से 2500 मी0 तक)–रोपण से पूर्व इन घासो की नर्सरी तैयार कर ली जाती है नर्सरी से उखाडे गये पौधो की रोपाई दिसम्बर से जनवरी तक वन पंचायत/ सिविल भूमि में तैयार किये गये खेतो

में की जाती है । रोपाई करते समय 5 से 7 पौधे एक साथ रोपित करने चाहिये पौधो को मिट्टी में लगभग 5 सेमी0 गहराई में भलीभांति दबा देना चाहिये । पौधो तथा पक्तिंयो के मध्य की दूरी 40 से 50 सेमी0 रखनी चाहिये, राई अथवा ब्रोम घास के पौधे कभी –कभी 25 से 30 सेमी तक उॅचे हो जाते है इन पौधो को जड़ से 20 सेमी0 छोडकर ऊपर के शेष भाग को काट देना चाहिये घासो की रोपाई के पश्चात यदि बर्षा न हुई हो तो सिचाई करना आवश्यक है । वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त माह में इसी तरह पुरानी घास जडो का रोपण भी किया जाता है ।

दूसरी विघि में घास बीजो की सीधी बुवाई वंन पंचायतो /सिविल भूमि में तैयार कन्टूर टिरैस खेतो में की जाती है ऐसी स्थिति में बीज की मात्रा कुछ अधिक लगभग 8 से 10 किग्रा0 प्रति है0 प्रयोग की जाती है । पक्तियों के मध्य की दूरी 45 सेमी0 रखनी चाहिये एक पक्तिं में घास बीजो की बुवाई करते समय यह सावधानी बरतनी चाहिये कि एक साथ एक दो बीज ही भूमि में गिरे तथा बीजो के मध्य 4 से 6 सेमी का अन्तर हो, बीजो का अंकुरण हो जाने के लगभग दो माह पश्चात पौधेा का विरलीकरण करके पौधो के मध्य की दूरी 40 सेमी0 निर्धारित करनी चाहिये ।मानसूनी घासो की रोपाई दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी अभिमुखो पर करनी चाहिये जहां का वातावरण गरम रहता है । शीतकालीन घासो के बुवाई पूर्वी,उत्तरी पूर्वोत्तरी तथा पश्चिमोत्तरी अभिमुखों पर करनी चाहिये जहां वातावरण ठण्डा रहता है ।

8–निराई–गुडाई तथा सिचाई– वन पंचायत/सिविल भूमि जैसे नये क्षेत्रो में जब किसी नई घास का प्रवेश किया जाता है तो प्रथम वर्ष में विशेषकर मानसून में उसे कई स्थानीय खरपतवारो से प्रतिद्वन्दिता करनी पडती है । मानसून में रोपित घासों के अन्दर से खरपतवारो को निकालना तथा निराई–गुडाई करना ही इन्टरकल्चर क्रियाओं के अन्दर आता है प्रत्येक मानसून में एक या दो बार इन्टरकल्चर अवश्य करना चाहिये । घासो के पक्तिंयो के मध्य कुटले से गुडाई करने पर घास की तल शाखाओं में प्रर्याप्त वृद्वि होती है । मृदा में हवा का संचार भलीभांति हो जाता है तथा कीडे मकोडे नष्ट हो जाते है ।

शीतकालीन घासो को ज्यादा पानी की आवश्यकता नही पडती है परन्तु उन्हे कम तापक्रम तथा ठन्डी जलवायु प्रिय होती है । अतः शीतकालीन घासो को उत्तरी, उत्तरी पूर्वी तथा उत्तरी पश्चिमी अभिमुखों पर उगाने से उन्हे अधिक पानी की आवश्यकता नही पडेगी वैसे पर्वतीय क्षेत्रो में दिसम्बर से फरवरी मार्च तथा अप्रैल मई में भी यदा कदा वर्षा होती रहती है । जो इन घासो को जीवित रखने के लिये प्रर्याप्त होती है । परन्तु 15 से

30 दिन तक वर्षा न हो तो घासों को पानी देना आवश्यक हो जाता है । शीतकाल में घासो की एक से दो बार निराई– गुडाई अवश्य करनी चाहिये । मानसून घासो की वृद्वि जुलाई से सितम्बर तक होती है इस अवधि में मानसून के सक्रिय रहने के कारण किसी सिचाई की आवश्यकता नही पडती है । यदि मार्च से जून तक वर्षा होती रहती है तो नैपियर एवं अन्य मानसूनी घासो में अच्छी वृद्वि होती है तो हरे चारे की दो बार कटाई की जा सकती है ।

9–हरा चारा उत्पादन

1–मानसूनी घासें– मानसूनी घासो में हरे चारे की सबसे अधिक पैदावार नैपियर/संकर नैपियर से होती है । एक वर्ष में कम से कम 5 बार कटाई की जा सकती है तथा अच्छे प्रबन्धन के अन्तर्गत 6 से 8 बार कटाई की जा सकती है । जुलाई में रोपित नैपियर घास से पहली कटाई लगभग 75 दिन पश्चात ली जा सकती है इसके पश्चात प्रत्येक 40 दिन बाद नवम्बर तक नियमित रूप से कटाई की जा सकती है। नैपियर हरे चारे की पैदावार लगभग 600 कु0 प्रति है0 प्रति वर्ष होती है । अन्य मानसूनी घासो की पैदावार लगभग 300 से 350 कु0 प्रति है0प्रति वर्ष प्राप्त होती है ।

2–शीतकालीन घासें– शीतकालीन घासे की रोपाई अगर जुलाई में की जाती है तो प्रथम कटाई लगभग 60–70 दिन पश्चात सितम्बर में की जा सकती है । इसके पश्चात प्रत्येक 50–60 दिन बाद सम्पूर्ण वर्ष (शीत एवं ग्रीष्म काल) कटाई ली जा सकती है । इन घासो की प्रमुखता यह है कि दिसम्बर से मई तक जब पर्वतीय क्षेत्रो में कोई भी हरा चारा उपलब्ध नही रहता है तो राई, गुच्छी, दोलनी तथा ब्रोम से पर्याप्त पौष्टिक चारा प्राप्त होता रहता है शीतकालीन घासों की लगभग 6 कटाईयां प्रतिवर्ष ली जा सकती है हरे चारे की पैदावार 250 से 300 कु0 प्रतिवर्ष प्रति है0 उत्पादित होती है।

10–घास बीज उत्पादन–

1–शीतकालीन घासे–राई,ब्रोम दोलनी तथा गुच्छी घासो में बीज की मुख्य पैदावार अप्रैल मई माह में होती है । लगभग 1500 मी0 से कम तुंगता वाले क्षेत्रो में घास बीजो की परिपक्वता मध्य अप्रैल से प्रारम्भ हो जाती है जबकि लगभग 2000 मी0से अधिक तुगता वाले क्षेत्रो मे बीजो की परिपक्वता मध्य मई से मध्य जून तक होती है । घास बीज की पैदावार लगभग 40 से 125 किग्रा/है0/वर्ष हो जाती है ।

2–मानसूनी घासे– मानसूनी घासो के बीजो की परिपक्वता अवधि काफी विस्तारित होती है तथा एक समय में बहुत थोडे बीज परिपक्व होते है तथा झडते रहते है । इसलिये परिपक्व बीजो का सग्रह बहुत ही कठिन कार्य है। लगभग सभी मानसूनी घासो के बीज सितम्बर से लेकर अक्टूबर तक परिपक्व

हो जाते है । बीजो की परिपक्वता प्रारम्भ होते ही उनका संग्रह शुरू कर देना चाहिये । गुणी घास सीता घास तथा अंजन धामन घासो में बीज अच्छा सग्रह किया जा सकता है । नैपियर घास में बीज बहुत कम पैदा होता है तथा उनकी जैविक क्षमता लगभग 10 से 15 प्रतिशत ही होती है । मानसूनी घासो का विस्तार वानस्पतिक संवर्द्धन द्वारा सर्वोत्तम पाया गया है । वानस्पतिक संवर्द्धन कलमो अथवा रूट स्टाक द्वारा किया जाना चाहियें ।

5–अन्य दिशा निर्देश–

1–योजना में कार्य करने वाली महिलाओं हेतु योजना स्थल पर पानी एवं छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी।

2–महिला समूहो के सदस्यों को दुग्ध समिति/गो–मूत्र सग्रह से जोड़ा जायेगा ।

3–महिला समूह के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से वरीयता के आधार पर उन्नत गौशाला निर्माण/पशु नस्ल सुधार,वैज्ञानिक खिलाइ पिलाई स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, वैल्यू एडिशन एवं व्यक्तिगत चैफकटर की व्यवस्था से भी जोड़ा जायेगा।

4–यदि चयनित स्थल पर मौसमी चारा उत्पादन हेतु भूमि उपयुक्त है तो मौसमी चारा घासों का भी उत्पादन योजना स्थल पर करने हेतु विभाग द्वारा निःशुल्क चारा बीज एवं कृशिकरण हेतु मार्ग दर्षन की सुविधा दी जायेगी।

5–महिला समूहों को उन्नत पशुपालन, पशुरोग नियंत्रण एवं पशुपोषण की जानकारी उनके गांव स्तर पर समय–समय पर शिविर लगाकर की जायेगी एवं महिला समूह के सदस्यों के पशुओं का टीकाकरण एवं दवापान प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम विभागीय दरों पर किया जायेगा।

6–महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने कृषि योग्य भूमि की मेढो पर रोपण हेतु प्रथम वर्ष में योजना से चारा घासों की 200–300 जड़े /कलमें निःशुल्क की जायेगी। इन्ही की वृद्वि से वे आगामी वर्षो में अपने पास उपलब्ध समस्त मेढो पर चारा घासों का रोपण करेंगी।

7–योजनान्तर्गत उत्पादित हरे चारे/रूट स्टाक की विक्रय दरें चारा विकास समिति स्वयं तय करेगी।

8– योजना का निर्माण पूर्ण होने पर योजना महिला चारा विकास समिति को हस्तगत की जायेगी एवं समय–समय पर प्रबन्धन समिति, महिला चारा विकास समिति का आवश्यक मार्गदर्शन करती रहेगी।

चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व योजना के कियान्वयन हेतु निम्न चरणों के अनुसार प्रस्ताव प्रेषण की कार्यवााही की जानी चाहिए :

1– वन पंचायत में चारा विकास के लिए सर्वप्रथम निर्धारित मानक (मार्गदर्शी बिन्दु) के अनुसार 5 हैक्टेयर भूमि का चयन करना (संलग्नक –1)

2– क्षेत्रीय पटवारी से वन पंचायत का नजरिया मानचित्र तथा खसरा–खतौनी की नकल प्राप्त करना।

3– निर्धारित प्रारूप के अनुसार वन पंचायत के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन करना (संलग्नक–2)

4– वन पंचायत की बैठक आयोजित करके 5 हैक्टेयर क्षेत्र में चारा विकास के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार करना (सलंग्नक–3)

5– वन पंचायत के प्रस्ताव के साथ नजरिया नक्शा तथा खसरा–खतौनी की पटवारी द्वारा प्रमाणित नकल संलग्न करके पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करना (संलग्नक–4)

6– वन पंचायत की ओर से जिलाधिकारी को आवेदन पत्र का प्रेषण जो वन पंचायत की 5 हैक्टेयर चयनित भूमि पर चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में हो (संलग्नक–5)

7– जिलाधिकारी महोदय की ओर से वन पंचायत को प्रेषित अनुमति पत्र (संलग्नक–6)

8– वन पंचायत में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने के लिए पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय सहायता सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रदान की जानी है।

9– जिलाधिकारी महोदय से अनुमति पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा एक आवेदन पत्र (संलग्नक 2 से 6 संलग्न कर) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को प्रेषित करना होगा जिसमें चारा विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए धनराशि की मांग, सम्बन्धित जनपद के चारा विकास अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट तथा जिलाधिकारी से प्राप्त अनुमति पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा।

10– इसके पश्चात ् निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, योजनान्तर्गत अनुमोदित दरों के आधार पर 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराषि का भुगतान मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगे।

11– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् वे चारा विकास समिति को कार्यों के निष्पादन हेतु चरणबद्ध रूप से आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराते रहेंगे। प्रत्येक किस्त का लेखा समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा दूसरी एवं अग्रेतर किस्तों का भुगतान किया जाए।

संलग्नक–1

योजना हेतु स्थल चयन हेतु मार्गदर्शी बिंदू

- स्थान का चयन संबंधित वनपंचायत अथवा अन्य सामूहिक भूमि जैसे सिविल सोयम, वन भूमि, संयुक्त वन प्रबंध भूमि अथवा वन विकास समिति के अंतर्गत ग्राम के जनप्रतिनिधियों / महिला समूह के सदस्यों / अन्य पशुपालक महिलाओं से विस्तृत विचारोपरान्त किया जाएगा।
- चयनित स्थान का क्षेत्रफल 5 है0 होना चाहिए
- चयनित स्थान सभी विवादों से मुक्त होना चाहिए।
- सडक से चयनित स्थान की दूरी कम से कम हो।
- गॉव तथा आबादी से चयनित स्थान कम से कम 1 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित हो।
- समुद्र तल से चयनित स्थान की ऊॅचाई लगभग 1000 से 2000 मी0 के बीच होनी चाहिए।
- चयनित स्थान का ढलान 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- वृक्ष / झाडियों की संख्या न्यूनतम हो तथा स्थाई / अस्थाई जल स्रोत वाली जगह को वरीयता दी जाएगी।
- चयनित स्थल का पूर्वी/पूर्वोत्तर/पश्चिमोत्तर दिशाओं में अभिमुखता वाला भाग लगभग 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।
- क्षेत्र का नजरिया नक्शा तैयार कर इन्वेन्ट्री तैयार की जाएगी जिसमें चयनित स्थल की भौगोलिक स्थिति, जल स्रोत, अभिमुखता, ढलान, पेड़ों की स्थिति आदि सभी सूचनाएॅ विस्तृत रूप में अंकित होनी चाहिएॅ।

संलग्नक–2

चयनित वन पंचायत के सम्बन्ध में सूचनाओं का संग्रह

- वन पंचायत का नाम ।
- वन पंचायत के वतर्मान सरपंच का नाम व पता।
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम।
- वन पंचायत क्षेत्र/ग्राम में गठित चारा विकास समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों के नाम एव पते।
- वन पंचायत क्षेत्र/ग्राम में कार्यरत अन्य स्वयं सहायता समूह / महिला सहकारी दुग्ध समिति का नाम व पते।
- निकटतम पशुचिकित्सालय का नाम व पता।
- निकटतम पशु सेवा केन्द्र का नाम व पता।
- विकासखण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम, जिसमें वन पंचायत /ग्राम पंचायत आती है
- मुख्य मोटर मार्ग का नाम, जिस पर वन पंचायत स्थित हो (कृपया ऐसी वन पंचायतें चयनित की जायं जो यथासम्भव मुख्य मार्ग अथवा उसके सन्निकट स्थित हो ।
- वन पंचायत की निकटतम मोटर मार्ग से दूरी (कि.मी.)।
- वन पंचायत का कुल क्षेत्रफल।
- वन पंचायत की समुद्रतल से ऊंचाई (मीटर में)।

संलग्नक–3

वन पंचायत का प्रस्ताव–प्रारूप

वन पंचायत.....ग्राम सभा.....पोस्ट –.....
.....जनपद.....की एक विशेष बैठक दिनांक ..... को आहूत की गई। गॉव में पशु चारे की विकट समस्या को देखते हुए सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए :

1. वन पंचायत.....की 5 हेक्टेयर भूमि चारा विकास के लिए उपयुक्त तथा वन पंचायत चयन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है।
2. चयनित भूमि में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने के लिए पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को प्रस्ताव की प्रति प्रेषित करते हुए आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया जाय।
3. जिलाधिकारी महोदय/जिला वन पंचायत अधिकारी को प्रस्ताव की प्रति प्रेषित करते हुए निवदेन किया जाए कि वे वन पंचायत ..... की 5 हेक्टेयर भूमि में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।
4. वन पंचायत के चयनित क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम के लिए इस भूमि को 5 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से उपयोग के लिए हस्तांतरित किया जाय। इस अवधि में चारा विकास एवं चारा वक्षारोपण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाय तथा किसी दूसरे विभाग/संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जाय।
5. चयनित क्षेत्र के सुरक्षा का दायित्व वन पंचायत का होगा जिसके घेरबाड़ का कार्य पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय सहयोग से किया जाय तथा चारा विकास सम्बन्धित सभी कार्यो के निष्पादन में चारा विकास समिति के माध्यम से गांववासियों का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
6. वन पंचायत में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था को अधिकृत कर सकती है, जो वन पंचायत के सहयोग से निर्धारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा।

वन पंचायत के पंचों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

1–
2–
3–
4– वन पंचायत सरपंच
5– मोहर

संलग्नक–4

वन पंचायत की ओर से निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को चारा विकास सम्बन्धित प्रस्ताव प्रेषित करने का प्रारूप

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
सी – 28, सैक्टर 1, डिफैंस कालोनी, देहरादून

महोदय,

निवेदन करना है कि ग्राम सभा.....पट्टी..... ..... तहसील.....जनपद.....में पशुचारे का बहुत अभाव है। ग्रामसभा के अन्तर्गत वन पंचायत..... का गठन हो चुका है जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल.....हैक्टेयर (..... नाली) है। हमें ज्ञात हुआ है कि राज्य में चारा विकास का कार्य पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की देखरेख में हो रहा है।

उपरोक्त सम्बन्ध में दिनांक .....को वन पंचायत की एक विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि वन पंचायत..... .....में 5 हैक्टेयर भूमि चारा विकास के लिए उपयुक्त है। इस चयनित क्षेत्र में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड से अनुरोध करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। पारित प्रस्ताव की छायाप्रति, नजरिया नक्षा तथा खसरा–खतौनी की नकल संलग्न करते हुए निवेदन करना है कि कृपया हमारी वन पंचायत के 5 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने हेतु चारा विकास समिति के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। वन पंचायत सदैव पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की आभारी रहेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में वन पंचायत द्वारा जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त करने हेतु निवदेन किया गया है। अनुमति प्राप्त हो जाने पर पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड को मूल प्रति प्रेषित कर दी जाएगी।

संलग्न : वन पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव,
नजरिया नक्षा, खसरा–खतौनी की नकल

भवदीय

सरपंच, वन पंचायत
मोहर

संलग्नक–5

जिलाधिकारी को वन पंचायत का प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए पत्र–प्रारूप

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद .....

महोदय,

निवेदन करना है कि वन पंचायत..... ग्रामसभा..... तहसील..... जनपद..... की दिनांक ..... को आयोजित विशेष बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि गांव में पशुचारे की विकट समस्या को देखते हुए वन पंचायत..... .....की 5 हैक्टेयर भूमि में चारा विकास समिति के माध्यम से चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने के लिए पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त किया जाय।
महोदय से अनुरोध करना है कि कृपया वन पंचायत.....की 5 हैक्टेयर भूमि में पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से चारा विकास समिति के माध्यम से चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने के लिए अनुमति प्रदान करना चाहें। पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमोदित एवं चयनित क्षेत्र में घेरबाड़, चारा घासों तथा चारा पौधों के रोपण के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य जैसे–स्थायी निर्माण अथवा वृक्ष पातन आदि का कार्य नहीं किया जाएगा। पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड से प्राप्त अनुदान राषि एवं चारा विकास से हाने वाली आय को चारा विकास समिति के खाते में जमा किया जाएगा तथा इसका उपयोग चारा विकास क्षेत्र के अनुरक्षण में किया जाएगा। चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व में उत्पादित घासों का वितरण एवं उपयोग समस्त गांव वासियों द्वारा किया जाएगा।
प्रस्ताव पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

भवदीय

दिनांक :

सरपंच, वन पंचायत
मोहर

संलग्नक–6

जिलाधिकारी द्वारा वन पंचायत के चयनित क्षेत्र में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने के लिए अनुमति पत्र–प्रारूप

जिलाधिकारी कार्यालय.....पत्रांक .....

सेवा में,
सरपंच, वन पंचायत.....
ग्रामसभा..... , तहसील.....

महोदय,
वन पंचायत.....ग्रामसभा.....पट्टी..... ..... तहसील..... द्वारा पारित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रतिबन्धों के साथ 5 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित करने की अनुमति प्रदान की जाती है :

1. वन पंचायत के चयनित 5 हैक्टेयर क्षेत्र में पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से चारागाह विकास एवं चारा रिजर्व विकसित किया जा सकता है।
2. चारा विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए वन पंचायत, चयनित 5 हैक्टेयर भूमि को अस्थायी रूप से 5 वर्ष के लिए उपयोग कर सकती है।
3. वन पंचायत में चारा विकास के लिए चयनित क्षेत्र में चारा घास विकास एवं चारा पौध रोपण के अतिरिक्त कोई ऐसा कार्य न कराया जाय जो पर्यावरण की दृष्टि से अवांछित हो।
4. चयनित क्षेत्र में कोई स्थायी निर्माण अथवा अन्य कार्य न कराए जाएँ, जिससे वन पंचायत के मूल स्वरूप में कोई विकृति उत्पन्न हो सके।
5. चयनित क्षेत्र में उत्पादित पशु चारे से सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित होना चाहिए।

जिलाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निदेशक –पशुपालन विभाग, सी– 28, सैक्टर 1, डिफैंस कालोनी, देहरादून
2. उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी.....
3. मुख्य विकास अधिकारी,.....

जिलाधिकारी